भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1295

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

17 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय खेल महासंघों में पेशेवर रवैये की कमी

1295. श्री नवीन जिंदल :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल महासंघों के भीतर गुटबाजी और पेशेवर रवैये की कमी के मुद्दे को संबोधित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें पोषित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार किस प्रकार खेल क्षेत्र में सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है;

(घ) क्या सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कल्याण और पेंशन लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और खेल परितंत्र में कोच और संरक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एथलीटों को एकीकृत करने के उपायों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जीवन भर पेंशन लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (रीसेट) कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को नए पेशों में बदलाव में किस प्रकार मदद कर रहा है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 / न्यास अधिनियम / कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं। सरकार, भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी एक विशेष खेल के लिए एक ही परिसंघ को मान्यता देती है। खेल संहिता में प्रावधान है कि एनएसएफ द्वारा निष्पक्ष प्रबंधन प्रथाओं, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं, पदधारकों की आयु और कार्यकाल की सीमाओं, खेलों में सुशासन के मूल सार्वभौमिक सिद्धांतों, उचित लेखांकन

प्रक्रियाओं, आयु धोखाधड़ी और महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम और मॉडल चुनाव दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव कराने संबंधी प्रावधान का पालन किया जाए।

हाल ही में, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 को पारित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि खेल से संबंधित शिकायतों और विवादों, इनसे संबंधित या अंतर्निहित मामलों का समाधान एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से किया जाए।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) जनजाति युवा सहित पूरे देश के लिए निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर विभिन्न आयु समूहों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा सके और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके:

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

(इनके उप-स्कीमें - नियमित स्कूल, आईजीएमए और अखाड़े)

इसके अलावा, एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त एनएसएफ को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन, विदेशी कोच/सहायक कर्मियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए हर संभव सहायता शामिल है। यह प्रावधान किया गया है कि एनएसएफ अपने वार्षिक बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर पर विकास के लिए अपनी संबद्ध इकाइयों के माध्यम से आरक्षित करेंगे, ताकि बेंच स्ट्रेंथ का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सरकार देश में खेलों के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को जुटाने के लिए खेल क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। सरकार कॉर्पोरेट संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के माध्यम से खेल क्षेत्र में निवेश करें, जिससे अवसंरचना, प्रशिक्षण और संबंद्ध सेवाओं के लिए सहायता मिल सके।

कॉरपोरेटों को प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी, खेल उपकरणों की खरीद, सहायक कर्मियों की नियुक्ति और खेल में मानव संसाधन विकास सहित

विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीएसआर निधि देने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) को भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के लिए कॉर्पोरेट साझेदारों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से प्रायोजन समर्थन प्राप्त होता है।

(घ) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम के तहत, ऑनलाइन माध्यम से https://dbtyas-sports.gov.in/ पर आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। मासिक पेंशन एलआईसी के माध्यम से वितरित की जाती है। पेंशन की राशि खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के आधार पर 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक होती है।

(ङ) मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2024 को सन्यास ले चुके खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (आरईएसईटी) कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य खेल से सन्यास ले चुके खिलाड़ियों के लिए करियर विकास को सुगम बनाना है। यह कार्यक्रम खेल से सन्यास ले चुके खिलाड़ियों की शैक्षणिक वृद्धि के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करेगा, साथ ही इंटर्नशिप भी देगा और उन्हें उचित करियर विकल्प अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा।

आरईएसईटी कार्यक्रम खेल से सन्यास ले चुके खिलाड़ियों को खेल संगठनों, खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों और लीगों के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से अपने कौशल को निखारने के अवसर प्रदान करता है; और मंत्रालय के मार्गदर्शन और समर्थन में शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से खेल से सन्यास ले चुके खिलाड़ियों को प्लेसमेंट सहायता, व्यवसाय मार्गदर्शन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। आरईएसईटी कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रमों का पहला बैच लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में 4 अक्टूबर, 2024 से 7 दिसंबर, 2024 तक चलाया गया था।

*****